तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1645/2004/चित्तौड़गढ़ रामलाल बनाम कमला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 26.4.2022

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–4–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/वादी के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत उपखण्ड अधिकारी, कपासन कैम्प राशमी के समक्ष प्रस्तुत किया। दावे के दौरान प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत का प्रस्तुत किया गया कि मौजा राशमी के आराजी नंबर 896, 897, 898 कुल किता 3 कुल रकबा 18 बिस्वा व ग्राम कीरो का खेडा में स्थित आराजी खसरा नंबर 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 86, 77/2434 कुल किता 10 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा उसके गोद के पिता लोभा जी से उत्तराधिकार में मिली है । प्रार्थी के पक्ष में लोभा द्वारा दिनांक 7–9–83 को एक वसीयत की गई। लोभा के स्वर्गवास के बाद विरासत का नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 लोभा की पुत्रियों के नाम ग्राम पंचायत राशमी द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके आधार पर उनके द्वारा उक्त आराजी दिनांक 28–10–2003 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी । इस विक्रय पत्र के आधार पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1645/2004/चित्तौड़गढ़ रामलाल बनाम कमला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 अप्रार्थी संख्या 4 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करने पर आमादा होने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना जरूरी है । अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा राशमी में स्थित विवादित भूमि का विक्रय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थीगण संख्या 4 के हक में किया है, इस विक्रय के तहत इंतकाल नहीं भरे न ही निर्णय करे एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। साथ ही विवादित आराजी पर से प्रार्थी का कब्जा नहीं हटाये । विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–1–2004 द्वारा यह निर्णय पारित किया कि प्रश्नगत आराजी लोभा की मृत्यु के बाद लगातार राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रार्थी के विरूद्ध है तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार उक्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 4 को हस्तांतरित कर दी गई है जिसका भी राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उसका रूपातंरण भी सक्षम अधिकारी से दिनांक 2–12–2009 को ग्रामीण भूमि रूपांतरण नियम 1992 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ करवा लिया है। यदि प्रार्थी का मौके पर कब्जा होता तो रूपांतरण का प्रश्न ही नहीं होता। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के संबंध में पुख्ता सबूत पेश नहीं किए। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 निर्विवाद रूप से मृतक लोभा की पुत्रियां हैं। प्रार्थी का वाद भी इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है जो रिमाण्ड होकर विचाराधीन है। किसी खातेदार के विरूद्ध बगैर किसी ठोस सबूत के अस्थाई निषेधाज्ञा देने से खातेदार को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है । अतः अपूर्णनीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो तत्वों पर खरा नहीं उतरता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1645/2004/चित्तौड़गढ़ रामलाल बनाम कमला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 12–1–2004 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 7–4–2004 द्वारा अपील को खारिज कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि प्रार्थी के वसीयतनामे दिनांक 13–8–82 पर बिना विचार किए ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज किया हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वयं का अभिमत दिए बगैर विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने में त्रुटि कारित की है। दौराने वाद अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण किया है । वाद के विचाराधीन रहते अधिकार तय होने बाकी है चूंकि प्रार्थी अपने गोद पिता की सम्पत्ति वसीयतनामे के आधार पर प्राप्त हुई है एवं दौराने वाद विवादग्रस्त सम्पत्ति का हस्तांतरण भी किया जाता है तो वाद प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा । इन सब तथ्यों पर विचार किए बगैर ही प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा दौराने वाद विवादग्रस्त भूमि को क्रय किया जो धारा 52 सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्वों का विवेचन विश्लेषण किए बिना ही निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जावें । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1645/2004/चित्तौड़गढ़ रामलाल बनाम कमला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्वों पर सम्पूर्ण साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से विवेचन कर ही निर्णय पारित किया है, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपने विधिसम्मत निर्णय से यथावत रखा है । जिसमें कोई त्रुटि नही है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे । हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस का निगरानी पर सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा का लम्बित रहने के दौरान प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं जमाबंदियों का अवलोकन करने के पश्चात् ही धारा 212 के तीनों तत्वों यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति आदि तीनों बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी अपील को अस्वीकार किया तथा विचारण न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत माना है । यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी पर अपना अधिकार एक गोदपुत्र व वसीयत के आधार पर होना जाहिर करता है जबकि इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्व0 लोधा की पुत्रियॉ हैं जिनका जन्म से पिता की सम्पत्ति पर अधिकार है और उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी अपना कब्जा काश्त किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में सिद्ध नहीं कर पाया है । निगरानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है तथा निगरानी के माध्यम से प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं किया जा सकता बल्कि न्यायालय को यह देखना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1645/2004/चित्तौड़गढ़ रामलाल बनाम कमला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि तो नहीं की है अथवा सारभूत अनियमितता(matrial irregularity) तो नहीं की गई है । उक्त परिस्थितियों में ही निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में हमें क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा सारभूत त्रुटि पाया जाना प्रतीत नहीं होता है । हमारी सुविचारित राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है जिससे निगरानी के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित है। जिनमे निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है । उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	